बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं०- प्र० 12 (विविध)-11-02/2013-2551 (S) पटना, दिनांक- 26.3.2013

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सचिव ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल (रा०उ०प० सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्य अंचल (रा०उ०प० सहित)
सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग
पथ निर्माण विभाग, बिहार ।

विषय :- गैर राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से बिटुमेन, इमल्शन एवं अन्य उत्पाद की आपूर्ति नहीं लिए जाने के संबंध में ।

प्रसंग :- पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 7897 (S) दिनांक 03.07.2007 एवं पत्रांक 8320 (S) WE दिनांक 21.07.11.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत संकल्प के माध्यम से बिटुमेन अधिप्राप्ति की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है । उक्त प्रासंगिक संकल्प के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि-

(1) किसी भी गैर राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनी से बिटुमेन, इमल्शन एवं अन्य किसी भी तरह का उत्पाद का क्रय नहीं किया जाए ।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय गैर राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों द्वारा विभागीय ज्ञापांक-1911 (E) दिनांक 21.5.10 की प्रति लगाकर उनकी कम्पनी से बिटुमेन एवं अन्य बिटुमेन उत्पाद के क्रय का अनुरोध किया जा रहा है जबकि उक्त विभागीय ज्ञापांक- 1911 (E) दिनांक 21.05.10 विभागीय बैठक की कार्यवाही मात्र है जिसमें समिति द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसपर सरकार का निर्णय विचाराधीन है ।

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि सम्प्रति विभागीय संकल्प जो विभागीय ज्ञापांक 7897 (S)

दिनांक 03.07.2007 द्वारा निर्गत है, में निरूपित व्यवस्था ही मात्र लागू है । अगर इसमें किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी जानकारी विभाग द्वारा आपको सीधे दी जाएगी ।

(3) राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनी यथा– IOCL, HPCL, BPCL द्वारा बिहार राज्य में अधिष्ठापित डिपो से ही बिटुमेन/इमल्शन एवं अन्य उत्पादों की अधिप्राप्ति की जाए । राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से बिटुमेन एवं अन्य संबंधित उत्पादों की अधिप्राप्ति हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाए । अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार माने जाएँगे ।

(4) किसी भी गैर राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनी से बिना सरकार से आदेश प्राप्त किए हुए बिटुमेन, इमल्शन एवं अन्य उत्पाद अधिप्राप्ति किया गया है तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त उपलब्ध कराई जाए ।

उपर्युक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रत्यय अमृत

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना